



Neutral Citation No. - 2026:AHC:49693-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दांडिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 3131 वर्ष 2026

हरि राम मिश्रा

..... याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

..... प्रत्यर्थागण

याची के अधिवक्ता : वीरेंद्र कुमार पांडेय, ओम शंकर मिश्रा

प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता : जी०ए०

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए विद्वान ए०जी०ए० को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान रिट याचिका याची द्वारा निम्नलिखित अनुतोषों के लिए दाखिल की गई है:- "(i) प्रत्यर्था संख्या 2 और 3 अर्थात् थानाध्यक्ष, पुलिस थाना घूरपुर, जिला प्रयागराज को बी०एन०एस० की धाराओं 351(2), 324(3) या आई०पी०सी० की धाराओं 506, 425, पुलिस थाना घूरपुर, कमिश्नरेट प्रयागराज के अंतर्गत मुकद्दमा अपराध/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0468 वर्ष 2025 में निष्पक्ष अन्वेषण पूर्ण करने और आगे एक अल्प निर्धारित अवधि के भीतर सक्षम न्यायालय के समक्ष अभियुक्तों या पूर्वोक्त मामले के विरुद्ध अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा पूर्वोक्त मुकद्दमा अपराध के अभियुक्त व्यक्तियों अर्थात् प्रत्यर्था संख्या 4, 5, 6 और 7 के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विरुद्ध उचित कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अंतर्गत उचित और उपयुक्त समझे। (ii) प्रत्यर्थी संख्या 3 अर्थात् थानाध्यक्ष, पुलिस थाना घूरपुर, जिला प्रयागराज को बी०एन०एस० की धाराओं 351(2), 324(3) या आई०पी०सी० की धाराओं 506, 425, पुलिस थाना घूरपुर, कमिशनरेट प्रयागराज के अंतर्गत मुकद्दमा अपराध/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0468 वर्ष 2025 में मामले का निष्पक्ष और पक्षपातरहित अन्वेषण करने के पश्चात अभियुक्त व्यक्तियों अर्थात् प्रत्यर्थी संख्या 4, 5, 6 और 7 के विरुद्ध उनकी गिरफ्तारी सहित उचित कार्रवाई एक अल्प निर्धारित अवधि के भीतर करने का निर्देश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अंतर्गत उचित और उपयुक्त समझे।"

3. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याची वर्तमान मामले में प्रथम सूचनादाता है और यद्यपि वर्तमान मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट 30.12.2025 को दर्ज की गई है, फिर भी पुलिस मामले का निष्पक्ष और पक्षपातरहित तरीके से अन्वेषण नहीं कर रही है।
4. उपर्युक्त के दृष्टिगत, याची अपनी शिकायत को उजागर करते हुए और निष्पक्ष तथा पक्षपातरहित अन्वेषण की मांग करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 2-पुलिस आयुक्त कमिशनरेट, प्रयागराज के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है और यदि याची द्वारा ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रत्यर्थी संख्या 2-पुलिस आयुक्त कमिशनरेट, प्रयागराज वर्तमान मामले में निष्पक्ष, पक्षपातरहित और शीघ्र अन्वेषण सुनिश्चित करेगा।
5. पूर्वोक्त आदेश के साथ, वर्तमान रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

मार्च 11, 2026

वी०के०जी०

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।